

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] No. 357] नई दिल्ली, शनिवार, जून 15, 2019/ज्येष्ठ 25, 1941

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15, 2019/JYAISTHA 25, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2019

सं. 16/2019-सीमा शुल्क

सा.का.िन. 424(अ).—जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 7, 28 और 38 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाना जरूरी है।

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती हे कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, -

- (1) अध्याय 7 में, टैरिफ मद 0713 40 00 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "50%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (2) अध्याय 28 में, टैरिफ मद 2810 00 20 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "27.5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2879 GI/2019 (1)

(3) अध्याय 38 में, टैरिफ मद 3822 00 90 के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "30%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 341/15/2018-टीआरयू] रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2019

No. 16/2019-Customs

G.S.R. 424(E).—WHEREAS the Central Government on being satisfied that the import duty leviable on goods, falling under Chapters 7, 28 and 38 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the said Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act, shall be amended in the following manner, namely:-

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act,-

- (1) in Chapter 7, for the entry in column (4) occurring against tariff item 0713 40 00, the entry "50%" shall be substituted:
- (2) in Chapter 28, for the entry in column (4) occurring against tariff item 2810 00 20, the entry "27.5%" shall be substituted;
- (3) in Chapter 38, for the entry in column (4) occurring against tariff item 3822 00 90, the entry "30%" shall be substituted.

[F.No.341/15/2018-TRU] RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2019

सं. 17/2019-सीमा शुल्क

सा.का.िन. 425(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II,

खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-उक्त अधिसूचना में,

- (क) सारणी में,-
- (i) क्रम संख्या 14क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 24क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"24कक	0802 11 00	संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित सभी माल	41 रुपए प्रति किलोग्राम	1	-";

(iii) क्रम संख्या 32क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
"32 ख	0808 10 00	संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित सभी माल	70%	-	-";	

(iv) क्रम संख्या 177क को क्रम संख्या 177ख लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखी गई क्रम संख्या 177ख से पूर्व, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"177क	2809 20 10	संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित सभी माल	10%	-	-" ;

- (ख) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:"बशर्ते और भी कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 21ग, 21घ, 24क, 24ख, 26क, 32क, 177, 177ख, 249क, 250क, 371क, 371ख, 376क और 377क के समक्ष दी गई प्रविष्टियों में निहित कोई भी बात संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत: उत्पादित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी";
- (ग) तीसरे परन्तुक को निरसित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 16 जून, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 341/15/2018- टीआरयू] रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.िन. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 14 मई, 2019, जिसे सा.का.िन. 361 (अ), दिनांक 14 मई, 2019 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2019

No. 17/2019–Customs

G.S.R. 425(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (a) in the Table,-
 - (i) serial number 14A and the entries relating thereto shall be omitted;
 - (ii) after serial number 24A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"24AA	0802 11 00	All goods originating in or exported from	Rs. 41 per	-	-";
		the United States of America	kg/-		

(iii) after serial number 32A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"32 B	0808 10 00	All goods originating in or exported from	70%	-	-";
	0000 10 00	the United States of America			

(iv) serial number 177A shall be renumbered as serial number 177B and before the serial number 177B as so renumbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"177A	2809 20 10	All goods originating in or exported from	10%	-	-";
	2009 20 10	the United States of America			

(b) for the second proviso, the following proviso shall be substituted namely:-

"Provided further that nothing contained in entries against serial numbers 21C, 21D, 24A, 24B, 26A, 32A,177, 177B, 249A, 250A, 371A, 371B, 376A, and 377A of the said Table shall apply to goods originating in the United States of America.";

- (c) the third proviso shall be omitted.
- 2. This notification shall come into force from the 16th day of June, 2019.

[F. No. 341/15/2018-TRU] RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification No.50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide*, notification No. 15/2019-Customs, dated the 14th May, 2019, published, *vide*, number G.S.R.361 (E), dated the 14th May, 2019.